

आदेश

निलामी पदाधिकारी का न्यायालय चास

बैंक मुद्रा रकमा 16/9/92

220/64-92

सीटीक शेरव

72

क्रमां०

तिथि

आदेश एवं हस्ताक्षर

को गयी कार्यवाही  
की तिथि

98/99

3

प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, वाटुपडी  
शाखा बनबाद, अपने विद्वान अधिवक्ता/श्री एस० एन० राय ने अपने अधि-  
याचन संख्या ..... द्वारा देनदार सीटीक शेरव  
पिता - उमेश शेरव भाग - बेशाटी, नुनियाडी  
पति - लालचंद शेरव जिला - लोकेश  
के विरुद्ध बकाया राशि 5315.35 ..... वसूल हेतु  
अधियाचन पत्र दाखिल किया गया है। इनके द्वारा एक आवेदन भी  
दाखिल किया गया है जिसमें फी दाखिल करने वास्ते समय की मांग  
की गयी है।

अधियाचन पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से बसूली  
योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध धारा ७ पी० डी० आर० ऐक्ट के अधीन  
विधिवत सूचना जारी करें। विद्वान अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है  
कि "कोर्ट फी" अविलम्ब प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करें। सूचना  
के ताबिल्ला प्रतिवेदन के साथ दिनांक .....  
को प्रस्तुत करें क्लर्क को भी सूचित करें।

1-8-91  
कोर्ट फी दाखिल करने से पश्चात् ही 10/8/91  
निर्गत है, दिनांक 25-9-91 को 25/9/91

निलाम पद०

चास।

1175 बैंक प्रमाण पत्र मुकदमा संख्या - 16/9/92

- आदेश फलक -

19-8-91

अनुमंडल पदाधिकारी, चास के ज्ञापक 936 दिनांक 27.7.91 में निहित आदेश के आलोक में इस प्रमाण पत्र मुकदमा को बोकारो जिला में स्थानान्तरण करने हेतु मूल स्म में अनुमंडल कावालय, चास में भेजा जाता है।

निलाम पत्र पदाधिकारी,  
चास।

प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा बोकारो के ज्ञापक 57/गो0 दिनांक 15.6.91 एवं उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक 73 दिनांक 18.7.91 में निहित आदेश के आलोक में इस निलाम पत्र मुकदमा को जिला स्तर पर निष्पादन करने हेतु उप समाहर्ता प्रभारी, जिला प्रमाण शाखा, बोकारो के पास अग्रतर कार्रवाई हेतु मूल में भेजा जाता है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
राह  
निलाम पत्र पदाधिकारी,  
चास।

19-9-91

अनुमंडल पदाधिकारी, चास के पत्रांक 1000  
दिनांक 16-8-91 एवं उपायुक्त, बोकारो  
के आदेश ज्ञापक 170 दिनांक 17-8-91  
द्वारा अनिलेख निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।  
इसे पंजीकृत कर 25-9-91 को तब  
दिनांक 25-9-91 को तब

निलाम पत्र पदाधिकारी  
बोकारो चास

25-9-91

मे. सूचित कर C/F अज्ञापक बैंक कार्रवाई  
रखे। कमिलेन दिनांक 31-10-91 को

31-10-91

CIF 530-92 (पॉलिमर के प्रमाण पत्र) को  
कमिलेन दिनांक 31-10-91 को तब  
द्वारा अनिलेख निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।  
इसे पंजीकृत कर 25-9-91 को तब  
दिनांक 25-9-91 को तब

5-2-92

हस्ताक्षर के बाद अभिलेख  
काजपुत्र विभाग १५५ कास्ट  
पर अनुमालन करें  
अभिलेख दिनांक ५-५-९२ से  
रखें

निष्पक्ष  
बोमबे

11-7-94

CASE TRANSFER TO  
Sri S. N. Sahay, Executive  
Magistrate, CHAS  
By order D. C. Bokaro  
Memo No. 640 Dt. 24-6-94

Certificate Officer  
BOKARO

29/4/95

वसिष्ठ न्याय से प्राप्त  
पंजी में जोड़ने के आधार  
को न्याय से जोड़ने हेतु  
चेतावनी दी जा रही है।

CO

श्री ५० पदा (वास)

16/6/2000

Case transfer to Sri. C. O. Choudhury  
By S. N. O. Chas Memo No.  
11/12/96 S-2000 for Disposal.

Certificate Officer  
Chas

अभिलेख उपर्युक्त विभाग ०५५  
वसिष्ठ न्याय वसुली हेतु  
हल में विह्वल न्यायन नो १२५  
निर्गल है। न्यायल हेतु पात्र ५५५  
को न्याय/अभिलेख --- भेजें रखें।  
न्याय विभाग  
चौधरी

XIV From No. 44

# FORM NO. 1.

CERTIFICATE OF PUBLIC DEMAND FILLED IN THE OFFICE OF THE CERTIFICATE OFFICER OF Chas .  
( Section 4 and 6 of the Bihar and Orissa Act IV of 1914 )

No. of Certificate	Name and address Certificate holder	Name and Address of the certificate debtor	Amount of Public demand (including Interest if any including the fee paid under Sec 5 Sub Sec (2) if any) for which this Certificate is signed and period for which such demand is due	Further Particular of the Public demand for which this certificate Signed
1	2	3	4	5
/90-91	State Bank of India ,	Siddik Shekh S/o. Umed Shekh At- Beretand, Nuniadin, P.O.- Banstora Dist- Bokaro.  ( Borrower )	Rs. 5,315.35  (Rupees five thousand three hundred fifteen and paise thirty five only) + further accrued interest w.e.f. 1.4.91 + other Misc. Expn.	For State Bank of India Mr. Manoj Kumar Nath

I here by certify that the above mantioned sum Rs. 5,315.35 is due to the above named C.d.r. from the above named. ( if the certificate is Signed on requisition sent under section 5 and ) I further certify that the above named sum of Rs. 5,315.35 is not Barred by law. day of 19 Certificate officer